

	appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years the maximum age limit for appointment by deputation (Including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.)
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23012/03/2016-PC]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एक्सरे टेक्निशियन) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अर्थात् सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एक्सरे टेक्निशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (एक्सरे टेक्निशियन) भर्ती नियम, 2017 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
एक्सरे टेक्निशियन	01* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित।
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर - 4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी सेवकों के लिए पैंतालीस वर्ष तक आयु सीमा शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हताएं— 1. मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं या इंटरमीडियट उत्तीर्ण। 2. परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोलॉजी में डिप्लोमा (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) 3. किसी संस्थापित केन्द्र में रेडियो डाइग्नोस्टिक/ रेडियो थेरेपी उपकरणों के परिचालन में 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय— कम्प्यूटरों के उपयोग की योग्यता—ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेड शीट्स और प्रजेंटेशनों में कार्यानुभव होना चाहिए।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति — केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों तथा अर्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(i) जो मूल संवर्ग में सदृश पद धारण कर रहे हों स्तर-4 (25500 - 81100 रु.) में तीन वर्ष सेवा की हों।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह - ग हेतु विभागीय पुष्टि समिति-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप निदेशक — अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक — सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी — सदस्य 	<p>लागू नहीं होता</p>

[फा.सं. 23011/06/2017-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 11th October, 2017

G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad X-ray Technician Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of X-Ray Technician in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (X-ray Technician) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment of the post, age-limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
'X' ray Technician	01* (2017) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 4 (Rs. 25,500-81,100/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(6)	(7)	(8)
<p>Age between 18-25 years: (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union Territory of Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Educational Qualifications:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12th or Intermediate from a recognised institute or Board. Diploma in Radiology (Two years course) from a recognised Institution approved by Atomic Energy Regulatory Board. Three years experience in operating Radio diagnostic/ Radiotherapy equipment's in an established centre. <p>Desirable:</p> <p>Ability to use computers - Hands on experience in office applications, spread sheets and presentations.</p>	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	Deputation failing which by direct recruitment.	<p>Deputation:-</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union territory or Autonomous Bodies or Public Sector Undertaking or Statutory Bodies or Recognised Research Institutes or Universities and Semi Government organisations:</p> <p>(i) Holding analogous posts in the Parent Cadre with three years' regular service in the Level – 4.</p> <p>Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organization/department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee:—</p> <p>Dy. Director – Chairman</p> <p>Asstt. Director – Member</p> <p>CMO/Medical Officer – Member</p>	Not applicable.

[F. No. 23011/06/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2017

सा. का. नि. 325.—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 831(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां 5 जुलाई, 2017 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;